

FORM No. III

Crime-I


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खींवसर...
किस्म मुकदमा...राजस्व प्रा.पत्र धारा 212 आर टी एक्ट

श्याम सुन्दर बनाम बरजूदेवी वगैराह

मु. नं.....107.....सन्.2019.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 के नाम दर्ज है एवं खरीद सुदा भूमि है ऐसी स्थिति में एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक-कलक्टर खींवसर </p> <p> 2/10/19 पक्षकार/पक्षकारान क आवकता उपास्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 13/11/19 को प्रस्तुत हो। </p> <p> 13/11/19 पक्षकार/पक्षकारान क आवकता उपास्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 22/1/20 को प्रस्तुत हो। </p> <p> 22/1/20 पक्षकार/पक्षकारान क आवकता उपास्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 6/4 को प्रस्तुत हो। </p> <p> 7/4 पक्षकार/पक्षकारान क आवकता उपास्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक. 16/6 को प्रस्तुत हो। </p>	<p>03.09.2019</p>



फर्द अहकाम

(नियम 26)

तत मुकाम

बनाम
श्याम सुब्बा वरपू देवी

वदमा नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>पत्रावली पेश हुई। अप्रतलीग्य सी बन्धी हेतु आज ही 208 AD से नोटिस केजने से लिमे जारी है। पत्रावली तबही हेतु दिनांक 15/11/22 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलेक्टर (S.D.O.) खीवसर</p> <p>15/11/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलामा उपर। वादी एवं प्रतिवादी गज को बार-बार उपस्थित करने के आग्रह दिल्वायी गयी। मगर गौर हाफिर। अतः उनके विरुद्ध एव पक्षीय कार्यवाही अन्त में लाम्बी गयी। तब उक्त प्रकरण को अदम परबी - अदम हाजरी में रथरिज सिम्य जाग है।</p> <p>पत्रावली केशत 22मात होकर, गम्बा से रम हेतु बाद जाला वास्तिन इफतर है।</p>	<p> सहायक कलेक्टर (एच.डी.जी.) खीवसर</p>